गैस वितरकों को दिशा-निर्देश जारी करने और उन्हें सख्ती से कार्यान्वित करने का विचार रखती है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): (क), (ख) और (घ) यद्यपि डिस्ट्रीब्यूटरों को तेल कंपनियों की ओर से स्थायी अनुदेश हैं कि उनसे हाट प्लेट खरीदने के लिए दबाव न डाला जाए, तथापि हाट प्लेटों की जबरदस्ती खरीद पर कुछ शिकायतों की रिपोर्ट तेल कंपनियों द्वारा की गई है। एल० पी० जी० के उपभोक्ताओं के हित की रक्षा के लिए पहले ही डिस्ट्रीब्यूटरों के लिए "विपणन अनुशासन दिशा-निर्देश" लागू हैं। चूक करने वाले डिस्ट्रीब्यूटरों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाती है।

(ग) चेतावनी-पत्र पहले ही जारी किया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर पैट्रोल/डीजल पम्प खोलना

3436. **श्री छोटू भाई पटेल**: क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों पर नये पैट्रोल/डीजल पंप खोलने के संबंध में सरकार कौन से दिशा निर्देशों/मापदण्डों का अनुसरण करती है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि, राष्ट्रीय राजमार्गों पर पैट्रोल/डीजल पम्प उपलब्ध न होने के कारण मोटर वाहनों के मालिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं;

(ग) क्या सरकार को मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर नये फिलिंग स्टेशन खोलने के संबंध में कोई आवेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में खोले जाने हेतु स्वीकृत किए गए नए फिलिंग स्टेशनों का ब्यौरा क्या है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): (क) और (ख) संयुक्त एम एस/एच एस डी और अकेले एच एस डी खुदरा बिक्री के केन्द्रों के लिए मात्रा-दूरी के मानदंडों के आधार पर देश के विभिन्न क्षेत्रों में खुदरा बिक्री केन्द्र खोले जाते हैं जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं।

(ग) और (घ) देश के विभिन्न भागों में नए खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने के लिए समय-समय पर आवेदन प्राप्त होते हैं जिसमें मध्य प्रदेश शामिल है। सर्वेक्षण के उपरान्त, मात्रा-दूरी के मानदंडों को पूरा करने वाले स्थानों को नए खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने के लिए "उद्योग विपणन योजना" में शामिल किया जाता है।

(ङ) वर्ष 1988—1993 की अवधि के लिए खुदरा बिक्री केन्द्र विपणन योजना में मध्य प्रदेश राज्य के 100 (एक सौ) स्थानों का प्रस्ताव किया गया है।

तेल-शोधक कारखानों की क्षमता

3437. **श्री छोटू भाई पटेल**: क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक तेल-शोधक कारखाने की वर्तमान क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ तेल शोधक कारखानों के विस्तार के लिए कोई कदम उठाये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रस्तावित विस्तार कार्यक्रम के पूरा होने पर ऐसे प्रत्येक तेल-शोधक कारखाने की क्षमता में कितनी अतिरिक्त वृद्धि होने की सम्भावना है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): (क) देश में रिफाइनरियों की स्थापित क्षमता नीचे दी गई है:

रिफाइनरी का स्थान	स्थापित क्षमता (मि० मी० टन० प्रति वर्ष)
1 2	3
1. गुवाहटी	0.85
2. बरौनी	3.30
3. कोयाली	9.50
4. हल्दिया	2.75
5. मथुरा	7.50
6. डिगबोई	0.50
7. एच०पी०सी०एल०, बम्बई	5.50
8. एच०पी०सी०एल०, विजाग	4.50
9. बी०पी०सी०एल०, बम्बई	6.00
10. मद्रास	5.60

1	2	3
11.	कोचीन	4.50
12.	बोंगाईगांव	1.35
	कुल:	51.85

(ख) से (घ) उपर्युक्त रिफाइनरियों में सृजित किये जाने के लिए प्रस्तावित अतिरिक्त शोधन क्षमता निम्न प्रकार से है:

परियोजना/स्थान का नाम	सृजित किए जाने के लिए प्रस्तावित अतिरिक्त क्षमता (मि०मी०टन० प्रति वर्ष)
1. कोयाली रिफाइनरी	3.00
2. बरौनी रिफाइनरी	0.50
3. मद्रास रिफाइनरी	0.90
4. गुवाहटी रिफाइनरी	0.15
5. कोचीन रिफाइनरी	3.00
6. डिगबोई रिफाइनरी	0.15
7. बोंगाईगांव रिफाइनरी	1.00
कुल:	8.7

शून्य गैस प्रज्वलन

3438. **श्री अजीत जोगी:**
श्री छोटू भाई पटेल:

क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शून्य गैस प्रज्वलन परियोजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) इन परियोजनाओं को सरकार की स्वीकृति हेतु कब भेजा गया था और इन्हें वास्तव में स्वीकृति कब दी गई;

(ग) इन परियोजनाओं की प्रारम्भिक लागत कितनी थी तथा इनकी संशोधित लागत कितनी है;

(घ) लागत में वृद्धि के क्या कारण है;

(ङ) इस प्रयोजनार्थ विश्व बैंक द्वारा की गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(च) इन परियोजनाओं के पूरा होने पर प्राप्त होने वाली अतिरिक्त गैस के उपयोग के संबंध में क्या सुविधाएं दिये जाने का विचार है और इनका वित्त पोषण किस प्रकार किया जाएगा?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): (क) से (घ) "गैस दहन न्यूनीकरण परियोजना" में पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र से प्राकृतिक गैस के संपीड़न और पाइपलाइन परिवहन सुविधाओं में वृद्धि करने का कार्यक्रम है। इसमें निम्नलिखित चार तत्व हैं:—

(1) एन०क्यू०पी०प्रोसेस प्लेटफार्म

(2) एस०एच०जी० प्रोसेस प्लेटफार्म

(3) द्वितीय बेसिन—हाजिरा गैस ट्रंकलाइन और हाजिरा गैस टर्मिनल का विस्तार

(4) आई०सी०पी०—हीरा गैस ट्रंकलाइन

ऊपर (1) और (2) पर उल्लिखित तत्वों के लिए प्रस्ताव अगस्त-सितम्बर, 1990 के दौरान प्राप्त हुई थे और 18 अप्रैल, 1991 को अनुमोदित किए गए थे। ऊपर (3) और (4) पर उल्लिखित तत्वों के लिए प्रस्ताव क्रमशः अप्रैल, 1991 और जून, 1991 में प्राप्त हुए थे और पहली अक्तूबर, 1992 को अनुमोदित हुए थे। इन तत्वों की मूल अनुमानित लागत 4700.93 करोड़ रुपए थी जिसे विनिमय दर में परिवर्तन सीमा शुल्क में परिवर्तन और आम कीमतों में वृद्धि की वजह से संशोधित करके 7669.19 करोड़ रुपए किया गया है।

(ङ) विश्व बैंक ने इन परियोजना के लिए 450 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण की स्वीकृति दी है।

(च) उपलब्ध अतिरिक्त गैस पहले ही डाउनस्ट्रीम उपभोक्ताओं को आबंटित की गई है।

रसोई गैस उपभोक्ताओं का ब्यौरा

3439. **श्री अजीत जोगी:**
श्री छोटू भाई पटेल:

क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 अक्तूबर, 1992 की स्थिति के अनुसार